



बिहार सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

पुलीय लल, अरण्य भवन, शाहीद पीर अली खॉं नार्ग, पटना-800 014  
संख्या-व.सं./108/2019 - 449

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-र : गौडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०  
दल-11, पटना 14, दिनांक- 28/05/2020

विषय - दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार गुमती-टिनही पुल तक प्रस्तावित नाले के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.85 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/40624/2019/3971 दिनांक 25.05.2020

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 14.85 हेक्टेयर 11 भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-2 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु रू० 49,13,383/- (रुपये उनचास लाख तेरह हजार तीस सौ तिरासी) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में 14.85 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 92,96,100/- (रुपये बानबे लाख छियानबे हजार एक सौ) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 1,42,09,483/- (रुपये एक करोड़ बियालीस लाख नौ हजार चार सौ तिरासी) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-procure पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कडिका 1 से 13 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजः

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापाक- व.सं./106/2019-449 दिनांक- 28/05/2020

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा वन प्रमंडल, दरभंगा/वन संरक्षक मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।